संख्या- 35 **/2026/I/**1258946 **/2026/71-1002(002)/51/2021**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** : 09-03-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/485, दिनॉक 16.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 669.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-74-राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 381.00 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्यासी लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (निम्नानुसार एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में महानिदेशक/प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. प्रश्नगत प्रकरण में अगर कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	08 कार्यालय व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
4	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	39 औषधि तथा रसायन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
5	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	41 भोजन व्यय	90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)
6	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
8	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
9	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	49 चिकित्सा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
10	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज,	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		बदायूं	भुगतान	
	कुल			**3,81,00,000 (रुपये तीन करोड़ इक्यासी लाख मात्र)**
महायोग				3,81,00,000 (रुपये तीन करोड़ इक्यासी लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 09-03-2026 09:49:48

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-002-51-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के विभिन्ना मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यचम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्ब न्धि में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)	03 (मंहगाई भत्ता)	66,00,00,000 रुपये छियासठ करोड़ मात्र	29,99,16,000 रुपये उनतीस करोड़ निन्यानबे लाख सोलह हजार मात्र	6,69,00,000 रुपये छह करोड़ उनहत्तर लाख मात्र	3,81,00,000 रुपये तीन करोड़ इक्यासी लाख मात्र	62,19,00,000 रुपये बासठ करोड़ उन्नीस लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 6,69,00,000	₹ 3,81,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	9,30,00,000 रुपये नौ करोड़ तीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	49 (चिकित्सा व्यय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	2,75,000 रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	4,75,000 रुपये चार लाख पचहत्तर हजार मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल	43 (सामग्री एवं	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख	1,50,00,000 रुपये एक करोड़	1,50,00,000 रुपये एक करोड़	2,25,00,000 रुपये दो करोड़	2025-2026
कुल				₹ 6,69,00,000	₹ 3,81,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	कालेज, बदायूं)	सम्पूर्ति)	मात्र	पचास लाख मात्र	पचास लाख मात्र	पच्चीस लाख मात्र	
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	42 (अन्य व्यय)	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	41 (भोजन व्यय)	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	90,00,000 रुपये नब्बे लाख मात्र	90,00,000 रुपये नब्बे लाख मात्र	1,45,00,000 रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	39 (औषधि तथा रसायन)	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	9,00,00,000 रुपये नौ करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	10,50,000 रुपये दस लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	08 (कार्यालय व्यय)	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	7,50,000 रुपये सात लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 6,69,00,000	₹ 3,81,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मे0का0, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मानक मद-03-महँगाई भत्ता मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 669.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मे0का0, बदायूँ ने अपने पत्र दिनांक 26.12.2025 द्वारा मानक मद-08-कार्यालय व्यय में रू0 6.00 लाख, मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 3.00 लाख, मानक मद-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 6.00 लाख, मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू0 250.00 लाख, मानक मद-41-भोजन व्यय में रू0 90.00 लाख, मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 5.00 लाख, मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 150.00 लाख, मानक मद-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय में रू0 6.00 लाख, मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रू0 3.00 लाख तथा मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 150.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 669.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-364-E-3-303-X-2025-26-दिनांक: 24-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकंदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनंद कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्साव शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनंद कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।